न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4048–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–10–2013 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 67/स्व0निगरानी/2012–13.

.....

देवेन्द्र सिंह त्रिपाठी पुत्र श्री शालिगराम त्रिपाठी
निवासी लाईन नं. 1 बिरला नगर ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर
कार्यालय सिरोल रोड ग्वालियर
2–म0प्र0शासन द्वारा तहसीलदार
तहसील व जिला ग्वालियर
कार्यालय सिरोल रोड ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक–आवेदक
श्री एच.के.अग्रवाल, पेनल अभिभाषक–अनावेदक शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 9/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त सुपावली तहसील ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 25/11–12/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 25–2–12 से ग्राम गोसपुरा तहसील ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1618 रकवा 0.199 हेक्टेयर जो शासकीय जल संसाधन विभाग की है, पर

आवेदक के हित में नामान्तरण अवैधानिक रूप से पारित किये जाने से तहसीलदार द्वारा जॉच प्रतिवेदन कमांक क्यू/रीडर–4/2013 ग्वालियर दिनांक 27–5–13 से नामान्तरण आदेश को निरस्त करने हेतु प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिये जाने हेतु कलेक्टर को प्रस्तावित किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 67/2012–13/स्वमेव निगरानी दर्ज कर दिनांक 10–10–13 को आदेश पारित किया जाकर तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरण आदेश निरस्त किया गया । कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–13 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में इस आधार पर दर्ज किया गया है कि भूमि शासकीय ऐरिगेशन डिपार्टमेंट की है, जबकि सिविल न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश द्वारा सर्वे कमांक 1618 रकवा 0.199 हेक्टयर आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि होना माना गया है । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है ।

(2) नायब तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण कर पटवारी से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन नजूल विभाग एवं नगर पालिका से अभिमत तथा जल संसाधन विभाग से अभिमत प्राप्त कर प्रकरण कमांक 25/11–12/अ–6 में पारित विधिवत् आदेश दिनांक 25–2–12 को अपास्त करने में त्रुटि की है ।

(3) जल संसाधन विभाग ने अपना अभिमत दिया है कि सर्वे कमांक 1618 को कोई भाग उनके स्वत्व, स्वामित्व का न होने से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है तब उसे न मानने में कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है ।

(4) कलेक्टर का यह निष्कर्ष भी त्रुटिपूर्ण है कि जल संसाधन विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इस कारण आदेश उस पर आबद्धकर नहीं है । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सी0पी0सी0 की धारा 10 के अधीन आवेदन किया गया था कि म0प्र0शासन तथा जल संसाधन विभाग द्वारा प्रकरण कमांक 3ए/1997 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–4–99 को अपास्त कराने

हेतु द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश ग्वालियर के समक्ष आवेदन किया है जो लंबित है ।

(5) कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में पारित विधिवत् नामान्तरण आदेश दिनांक 25–2–12 को अपास्त कर भूमि सर्वे कमांक 1618 शासकीय पार एरिगेशन डिपार्टमेंट दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जल संसाधन विभाग से अभिमत प्राप्त कर ही नामान्तरण आदेश पारित किया गया था एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त भूमि उनके स्वत्व, स्वामित्व की न होने की अनापत्ति दी गई है ।

(6) म0प्र0शासन एवं जल संसाधन विभाग द्वारा द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रकरण कमांक 3ए/97 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–4–99 को अपास्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 18ए/13 में पारित निर्णय दिनांक 7–3–14 से खारिज किया गया है एवं पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 10–4–99 स्थिर रखा गया है क्योंकि सर्वे कमांक 1618 मध्यप्रदेश शासन अथवा जल संसाधन विभाग की भूमि नहीं है ।

(7) अंत में तर्क प्रस्तुत किया कि निगरानी स्वीकार कर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–13 अपास्त किया जाकर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–2–12 स्थिर रखा जाये ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में पारित आदेश विधिनुकूल होने से हस्तक्षेप का कोई आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाकर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाये।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा इस आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण माना है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 3ए/97/अपील में दिनांक 10–4–99 को आदेश पारित कर सर्वे नम्बर 1618 में आवेदक के मकान के सम्बन्ध में डिक्री पारित की गई है, जबकि आवेदक द्वारा सम्पूर्ण भूमि 0.199 हैक्टेयर पर अतिक्रमण किया गया है और व्यवहार

न्यायालय में सिंचाई विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि सिंचाई विभाग की है, इसलिये व्यवहार न्यायालय का आदेश सिंचाई विभाग पर बंधनकारी नहीं है । कलेक्टर का उपरोक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित नहीं है, क्योंकि एक तरफ वे डिक्री को मान्यता दे रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में डिक्री को बन्धनकारी नहीं मान रहे हैं । इसके अतिरिक्त एक तरफ आदेश में यह तथ्य आ रहा है कि प्रश्नाधीन डिक्री फर्जी है, और दूसरी तरफ अत्यधिक विलम्ब हो जाने से अपील नहीं किये जाने के तथ्य का उल्लेख आदेश में है, जो कि आपस में विरोधाभाषी हैं । यहां यह भी विचारणीय है कि अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट में अन्य तीन व्यक्तियों पारस जैन, पी0एस0 विसेन एवं जी0एस0 कुशवाह का अतिक्रमण भी प्रश्नाधीन भूमि पर पाया गया है, परंतु उनके सम्बन्ध में कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में कोई विचार नहीं किया गया है कि किस भूमि पर किस व्यक्ति का कब्जा है । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इन्हीं कारणों से विचारण न्यायालय का आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता। इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह व्यवहार न्यायालय की डिक्री का सूक्ष्म परीक्षण कर अन्य अतिक्रामकों को सुनवाई का अवसर देकर प्रश्नाधीन भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति का निर्धारण कर उचित आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2013 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–02–2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में पुनः आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर